



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 30.11.2025

गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त थाना मुठ्ठीगंज व थाना करैली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

थाना मुठ्ठीगंज व थाना करैली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना करैली के मु0अ0सं0-225/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों 1. अकरम उर्फ गोला पुत्र अच्छे निवासी जफीर की पुलिया गौस नगर थाना करैली जनपद प्रयागराज व 2. इमरान उर्फ जस्टिन पुत्र मो0 रईस निवासी यूनिटी पब्लिक स्कूल के सामने बक्शी मोढ़ नई कालोनी थाना करैली जनपद प्रयागराज व अस्थायी पता ग्राम घोसिया फकीराबाद थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 30.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर करामत की चौकी कछार के पास रास्ते से थाना क्षेत्र करैली से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अकरम उर्फ गोला पुत्र अच्छे निवासी जफीर की पुलिया गौस नगर थाना करैली जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 28 वर्ष।

2. इमरान उर्फ जस्टिन पुत्र मो० रईस निवासी यूनिटी पब्लिक स्कूल के सामने बक्शी मोढ़ नई कालोनी थाना करैली जनपद प्रयागराज व अस्थायी पता ग्राम घोसिया फकीराबाद थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी, उम्र करीब 30 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-225/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

A. अभियुक्त अकरम उर्फ गोला उपरोक्त-

1. मु०अ०सं०-541/2020 धारा 379/411/413 भा०द०वि० थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु०अ०सं०-623/2020 धारा 380/457/411 भा०द०वि० थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु०अ०सं०-838/2020 धारा 188/269 भा०द०वि० व 3 महामारी अधिनियम थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. मु०अ०सं०-853/2020 धारा 188/269 भा०द०वि० व 3 महामारी अधिनियम थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. मु०अ०सं०-1172/2020 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना कोतवाली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. मु०अ०सं०-71/2023 धारा 394/411/413/420/467/468/417 भा०द०वि० थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. मु०अ०सं०-132/2023 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. मु०अ०सं०-225/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

B. अभियुक्त इमरान उर्फ जस्टिन उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 184/2015 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु०अ०सं० 379/411/413 भा०द०वि० थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

3. मु0अ0सं0 853/2020 धारा 188/269 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. मु0अ0सं0 444/2021 धारा 188/269 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. मु0अ0सं0 276/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. मु0अ0सं0 71/2023 धारा 394/411/413/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. मु0अ0सं0 132/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. मु0अ0सं0-225/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मुठ्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 शिवम सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. हे0का0 कृष्णानन्द यादव, थाना मुठ्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. का0 पंकज निषाद, थाना मुठ्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. का0 संजीत सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. का0 सुमित सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अवैध तरीके से धर्मान्तरण कराने के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त थाना कैण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना कैण्ट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0-236/2025 धारा 298/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1. सी0पी0 राजू पुत्र एम0एम0 पीटर निवासी 56ए/2बी लूकरगंज थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज व 2. अनिल थामस पुत्र सदा शिवा पिल्लै निवासी 56/12 म्योराबाद थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 30.11.2025 को म्योराबाद थाना क्षेत्र कैण्ट से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.11.2025 को वादी मुकदमा श्री अमित मिश्रा निवासी हीवेट रोड थाना कोतवाली द्वारा थाना कैण्ट पुलिस को तहरीर दी गई कि म्योराबाद स्थित पीटर राजू पादरी के मकान में अवैध धर्मान्तरण का कार्य चल रहा था जहाँ अभियुक्तों पादरी पीटर राजू, अनिल थामस आदि द्वारा लोगों को अपना धर्म परिवर्तित कर दूसरा धर्म अपनाने हेतु पैसों का लालच व नौकरी देने की बात कही जा रही थी। इस सूचना पर वादी श्री अमित मिश्रा उपरोक्त द्वारा अपने साथी शुभम कुशवाहा, विजय पाण्डेय आदि के साथ मौके पर पहुँचकर इस बात का विरोध किया गया, जिस पर अभियुक्तों द्वारा भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए मारपीट की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 236/2025 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सी0पी0 राजू पुत्र एम0एम0 पीटर निवासी 56ए/2बी लूकरगंज थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज।
2. अनिल थामस पुत्र सदा शिवा पिल्लै निवासी 56/12 म्योराबाद थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-236/2025 धारा 298/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 मनीष उपाध्याय, चौकी प्रभारी राजापुर, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. हे0का0 गुलाब सिंह, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-389/25 धारा-74/351(3) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त संदीप उर्फ विधायक पुत्र मुकेश निवासी माधोपुर सघनगंज थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस द्वारा आज दिनांक- 30.11.2025 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेवईथ स्थित अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-115(2) भा0न्या0सं0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संदीप उर्फ विधायक पुत्र मुकेश निवासी माधोपुर सघनगंज थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 28 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-389/25 धारा-74/351(3) भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा-115(2) भा0न्या0सं0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुंवर, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. हे0का0 बनवीर, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 अनिल कुमार यादव, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मुकदमें से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-231/2025 धारा 137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सौरभ गौतम पुत्र लक्ष्मण गौतम निवासी नेवादा बेला थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 30.11.2025 को थाना सरायममरेज परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सौरभ गौतम पुत्र लक्ष्मण गौतम निवासी नेवादा बेला थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-231/2025 धारा-137(2)/87 भा०न्या०सं० थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राज कुमार यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. महिला उ०नि० मिताली सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।